


JDC
APG

Issue Direction
to all concern.

30/8/17

E-mail:

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	श्रावण 17, मंगलवार, शाके 1939— अगस्त 8, 2017 Sravana 17, Tuesday, Saka 1939—August 8, 2017	

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग

(अनुभाग-1)

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 8, 2017

संख्या प.13(3)प्र.सु./सम./अनु.-1/2011 :- राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम संख्याक 23) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना संख्या प. 13(1)प्र.सु./सम./अनु.-1/2008 दिनांक 5 अक्टूबर, 2011, समय-समय पर यथा संशोधित, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की सारणी के कॉलम संख्या 1 के विद्यमान क्रम संख्यांक 19 व उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्न नया क्रम संख्यांक 20 एवं उसकी प्रविष्टियां जोड़ी जावेगी, अर्थात:-

20	पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, जयपुर	127.	दत्ताराज सजीवन	24 पंटे	एन सजीवन	द्वारा	एम नरसिंह	महानिरीक्षक	एनपीजी	कारणों क्या-तबत बचन होने, बिजली आपूर्ति नहीं होने, कम्प्यूटर सिस्टम खराब होने की स्थिति में विभागीय सेवा निर्वारित समयावधि में उपलब्ध नहीं करायी जा सकेगी।
----	----------------------------------	------	----------------	---------	----------	--------	-----------	-------------	--------	--

राज्यपाल के आदेश से,
पवन कुमार गोयल,
प्रमुख शासन सचिव।

169


राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

राजस्थान-सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राज.,
"पंजीयन-भवन", अजमेर

क्रमांक : एफ.7(42)जन/2017/ 9270- 9450 दिनांक : 4/9/17

राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक प.13(3)प्र.सु./सम./अनु.-1/2011 दिनांक 08.08.17 की प्रति सूचनार्थ, पालनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :-

- 1 शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 2 महानिदेशक, राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय, राजस्थान, भूतल 'डी' ब्लॉक वित्त भवन, जनपथ, जयपुर।
- 3 समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
- 4 वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
- 5 पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
- 6 वित्तीय सलाहकार, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग मुख्यालय अजमेर।
- 7 अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, चतुर्थ तल, वित्त भवन, जयपुर।
- 8 समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलेक्टर (मुद्रांक), राजस्थान।
- 9 संयुक्त निदेशक (कंप्यूटर), मुख्यालय अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त अधिसूचना को विभाग की वेबसाई igrs.rajasthan.gov.in पर तत्काल अपलोड करावे।
- 10 समस्त उप पंजीयक (पूर्णकालीन एवं पदेन), राजस्थान।
- 11 निजी-सचिव, महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अतिरिक्त महानिरीक्षक, अजमेर।


(रेणू जयपाल)
अतिरिक्त महानिरीक्षक (प्रशासन),
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर